

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना, आगरा (पैकेज-1 व पैकेज-2) के अन्तर्गत संशोधित प्राक्कलन की समीक्षा के सम्बन्ध में दिनांक 03 जुलाई, 2025 को शाम 6:30 बजे जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 03 जुलाई, 2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक जिलाधिकारी आगरा स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, आगरा, अपर जिलाधिकारी (नगरीय), आगरा, अधिशासी अभियंता, उ०५० जल निगम (ग्रामीण), आगरा, समस्त सहायक अभियंता, उ०५० जल निगम (ग्रामीण), श्री गौतम कुमार शर्मा डी०आई०ओ०, श्री रामायण सिंह यादव जिला विकास अधिकारी, डी० सुशील कुमार, डिप्टी सीएमओ, श्री संदीप वर्मा, सहायक जिला पंचायत राव अधिकारी, श्री सुमित कुमार, वैदिक शिक्षा विभाग, श्री गजेन्द्र पात सिंह जूनियर अभियंता लघु सिंचाई, श्री राजूल देव शर्मा, समस्त जल विभाग, श्री विनोद कुमार डी०आई०ओ०, श्री गजेन्द्र पात चौधरी, आर०एफ०ओ०, श्री एन०के० सिंह अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, श्री रविन्द्र जैन, डीपीएम, टीपीआई, श्री आनन्द कुमार सिंह, जिला सन्वयक, डीपीएमयू, कार्यालयी संस्था में एन०सी०सी० लि० से श्री पीएस पाण्डेयन, श्री बी० कुमार, मै० मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० से श्री वज्रसला नवीन पी०एम०, श्री दीपक कुमार डीपीएम आदि उपस्थित रहे।

बैठक में सतही स्रोत आधारित ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत संशोधित प्राक्कलन की समीक्षा के सम्बन्ध में सभी घटकों पर एजेन्डीवार विस्तृत चर्चा की गयी-

रिवाइज्ड डीपी०आर० की समीक्षा- समीक्षा में सर्वप्रथम उ०५० जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता द्वारा रिवाइज्ड डीपीएमआर से सम्बन्धित सभी घटकों के बारे में बताया गया। जिसके सन्दर्भ में समिति द्वारा पूछा गया कि 81 ओवर हेड टैंकों का स्थान परिवर्तन किया गया है उसके क्या-क्या कारण हैं? इस पर अधिशासी अभियंता उ०५० जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायतों में जड़ों-जड़ों पर स्थान परिवर्तन किया गया है उन स्थानों की सूची सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा स्थान परिवर्तन के पश्चात सत्यापित सूची प्रेषित की गयी है। अद्योहस्ताधरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पूर्व में दिये गये ओवर हेड टैंकों के लिए घायित भूमि के स्थानों में परिवर्तन (कारण सड़ित टिण्णी) एवं तटसीलों के सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों द्वारा स्थान परिवर्तन पर की गयी कार्रवाई को विस्तृत आड्यक एवं वर्तमान में ओवर हेड टैंक के लिए घायित भूमि की स्थिति की सत्यापित सूची तीन दिन के अन्दर नगदायी जाये एवं आगामी जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

कार्य की मात्रा एवं स्ट्रक्चर की डिजाइन एवं ड्राइंग में परिवर्तन की तकनीकी स्वीकृति- समीक्षा बैठक में समिति द्वारा कार्य की मात्रा एवं स्ट्रक्चर की डिजाइन एवं ड्राइंग में परिवर्तन की तकनीकी स्वीकृति के बारे में पूछा गया जिस पर अधिशासी अभियंता उ०५० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्य की मात्रा में हुए परिवर्तन की तकनीकी स्वीकृति अधिशासी अभियंता के स्तर से प्रदान की जाती है एवं स्ट्रक्चर की डिजाइन एवं ड्राइंग में परिवर्तन की तकनीकी स्वीकृति राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से देाँटिंग उपरान्त अधिशासी अभियंता उ० ५० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा की जाती है।

यमुना एवं उदयन नदी पर प्रस्तावित सेतु एवं 17 नग शिरोनरि जलाराम की नौव में पाइलिंग का प्रावधान- समीक्षा बैठक में समिति द्वारा यमुना एवं उदयन नदी पर प्रस्तावित सेतु एवं 17 नग शिरोनरि जलाराम की नौव में पाइलिंग का प्रावधान के सम्बन्ध में समिति द्वारा पूछा गया कि पूर्व में निमित्त प्राक्कलन में पाइलिंग का प्रावधान क्यों नहीं था। जिस पर अधिशासी अभियंता उ० ५० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि जल निगम के कार्य Lump Sump दर के आधार पर करते जाते हैं कंपनी द्वारा सर्वेक्षण उपरान्त स्थलीय परिस्थितियों के दृष्टिगत कर्दस्थल पर हुये परिवर्तन के आधार पर सेतु एवं पाइलिंग का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन की वित्तीय स्वीकृति का सक्षम स्तर- समीक्षा बैठक में समिति द्वारा प्राक्कलन की वित्तीय स्वीकृति का स्तर पूछे जाने पर अधिशासी अभियंता उ० ५० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि यदि संशोधित प्राक्कलन को लागत SLSSC (State Level Scheme sanctioning committee) द्वारा स्वीकृत लागत के अन्तर्गत है, तब प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं ऑनजल क्षेत्रीय मुख्य अभियंता स्तर से कराते हुये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय से देाँटिंग उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से अग्रसरित कराया जाता है तब उपरान्त उसकी वित्तीय स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा प्रदान की जाती है। यदि संशोधित प्राक्कलन की लागत SLSSC (State Level Scheme sanctioning committee) द्वारा स्वीकृत लागत से अधिक है, तब प्राक्कलन की वित्तीय स्वीकृति निम्नोक्त विभाग एवं ब्यज एवं वित्तीय समिति, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ पर भी अवगत कराता है कि जनपद आगरा के पैकेज-1 एवं पैकेज-2 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों को लागत SLSSC द्वारा स्वीकृत लागत के अन्तर्गत है।

प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य की वर्तमान स्थिति- समिति द्वारा प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य की स्थिति के बारे में पूछा गया जिस पर अधिशासी अभियंता उ० ५० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पैकेज-01 एवं पैकेज-02 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति पर अवगत कराते हुए एजेन्डीवार विवरण दिया गया-

पैकेज-01 के निर्माण कार्यों की समीक्षा

1. **पुनित जलाशय (CWR) की प्रगति-** पैकेज-01 के अन्तर्गत 80 एनसीसी के द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के हात की गयी जिसमें अधिशासी अभियंता उ० ५० जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया कि 07

सीडब्ल्यूआर पर 51-75 प्रतिशत एवं 10 सीडब्ल्यूआर पर 76-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है एवं 17 परम हावम में 8 सीडब्ल्यूआर के परम हावम पर 51-75 प्रतिशत एवं 08 सीडब्ल्यूआर के परम हावम पर 76-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा कि एनसीसी को अद्योहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर बढ़ाकर कार्य को तीव्र गति से सत्य गुणवत्ता का स्थापन रखते हुए पूर्ण करावे।

2. **पाइप लेइंग**- अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यवाही संस्था को कुल 1967.71 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष 1030.18 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें से MS Pipe 165.31 किमी एवं DI Pipe 1822.40 किमी बिछाया जाय प्रस्तावित है MS Pipe 184.87 किमी एवं DI Pipe 1637.53 किमी पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा MS Pipe 68.25 किमी एवं DI Pipe 970.94 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. **मैन पावर**- अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 709 के सापेक्ष मात्र 192 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है। इस पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा गहरी नाराजगी जतायी गयी और तत्काल मैनपावर बढ़ाने को निर्देशित किया गया।
4. **रोड रेस्टोरेशन**- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यवाही संस्था कि एनसीसी द्वारा रोड डिमेंटिंग 19.53 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 4.11 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 15.42 किमी रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। 21.04 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिस पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा रोड रेस्टोरेशन के कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि रोड रेस्टोरेशन का कार्य सर्वाधिक प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्वक कराना सुनिश्चित करें।
5. **शुष्क फसलों का प्रतिकर**- अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि फसलों का प्रतिकर को सम्बन्धित तहसील स्तर पर सगति बना दी गयी है, लेकिन अभी तक फसलों का प्रतिकर वितरण सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिस पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि जो तहसील स्तर पर सगति बनाई गयी उसके द्वारा तत्काल फसलों का प्रतिकर वितरण सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारंभ की जाये एवं अनुबंध में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था/विभाग द्वारा श्रुति भतिपूर्ति का नियमानुसार वितरण तत्काल शुरू किया जाये। अगर फसलों का प्रतिकर वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

पैकेज-02 के निर्माण कार्यों की समीक्षा

1. **अवर जलराज्य (OHT) की प्रगति** - पैकेज-02 के अन्तर्गत मेधा इंजी० के द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा जिला पंचायत एवं स्वच्छता समिति के द्वारा की गयी जिसमें अधिशासी अभियंता उ० प्र० जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया है कि 407 ओएचटी में से 368 पर पीसीसी का कार्य हो चुका है एवं 08 ओएचटी पर खुदाई का कार्य करा दिया गया है अर्थात् कुल 377 ओएचटी पर कार्य प्रारम्भ/किया जा रहा है। अभी तक 30 ओएचटी पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिस पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी प्रकट की गयी और कि० मेधा के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर बढ़ाकर कार्य को सममान्यता गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
2. **पाइप लेइंग**-अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पाइप लेइंग के अन्तर्गत कुल 7567.76 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 6033 किमी पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा कुल 3707.45 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि पाइप लेइंग का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाये।
3. **मैन पावर**- अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 3210 के सापेक्ष मात्र 262 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा गहरी नाराजगी प्रकट की गयी और तत्काल मैनपावर बढ़ाकर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराने के निर्देश दिये।
4. **रोड रेस्टोरेशन**- अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यवाही संस्था कि० मेधा इंजी० द्वारा रोड डिमेंटिंग 1175.05 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 873.02 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 302.03 किमी रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। 74.29 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। रोड रेस्टोरेशन की गुणवत्ता से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों तथा आम जनमानस से लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है। कि० मेधा इंजी० द्वारा किये जा रहे रोड रेस्टोरेशन के कार्यों में कहीं-कहीं पर गुणवत्ता की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। बरसात के मौसम में रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण न होने से आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिस पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा रोड रेस्टोरेशन के कार्यों की धीमी प्रगति को देखते हुए नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि रोड रेस्टोरेशन का कार्य सर्वाधिक प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्वक कराना सुनिश्चित करें।

कि० एनसीसी द्वारा पैकेज-01 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में मैन पावर कम होने, पाइप लेइंग की धीमी प्रगति, रोड रेस्टोरेशन की धीमी प्रगति आदि एवं कि० मेधा इंजीनियरिंग द्वारा पैकेज-02 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में मैन पावर कम होने, पाइप लेइंग की धीमी प्रगति, रोड रेस्टोरेशन की गुणवत्ता खराब होने, रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण न किये जाने, शेष बची हुई 30 ओएचटी पर कार्य प्रारम्भ न करने, ओएचटी की प्रगति धीमी आदि होने पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी

प्रकार की भरी। दिल्ली जिला पंचायत एवं स्वच्छता समिति की बैठकें, अन्य जिलाधिकारी मण्डल मंत्र की सार्वजनिक बैठकें एवं अन्य जिलास्तरीय बैठकें में निर्देशित करने के उपरान्त भी उनके कार्यावली संस्करणों द्वारा कार्यों में प्रगति नहीं लगी जा रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर यदि उक्त कार्यों में प्रगति नहीं हुई तो अनुपस्थित से अनुपस्थित कार्यावली की जायेगी। जिसके लिए आप लोग स्वयं उत्तरदायी होंगे।


अतिशारी अधिकारी/ सदस्य सचिव
(जिला पंचायत एवं स्वच्छता विभाग)
आगरा।

कार्यालय जिलाधिकारी आगरा। (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

दिनांक 08-7-2025

पत्रांक 810/जे०जे०एम्०/का०१०/

ज००५/

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु क्षेपित।

1. अतिशारी निर्देशक महोदय राज्य पंचायत एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनाई।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय।
4. आगरा जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, आगरा।
5. अतिशारी अधिकारी, ज०जे०एम्० जल निगम (वि०/प०), आगरा को इस निर्देश के साथ जहाँ-जहाँ सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है वहाँ पर E&M के उपकरण/मशीनरी की आपूर्ति करवाकर शीघ्र ही इन्स्टॉलेशन का कार्य प्रारम्भ करावे।
6. समस्त सहायक अभियंता ज०जे०एम्० जल निगम(ग्रामीण), आगरा इस निर्देश के साथ प्रेरित कि वह स्वयं अपने-अपने क्षेत्र में जाकर अपने पर्यवेक्षण में गुणवत्ता एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
7. डी०जी०एम्०, फिशलर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (इण्डिया) प्रा० लि० आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेरित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखें।
8. जिला चमत्करण, जिला परियोजना अनुभूषण इकाई (डी०जी०एम्०), आगरा को अनुपालनार्थ।
9. डी०जी०एम्०, मैसर्स एन०सी०सी० एच० (जे०जे०एम्०) (पैकेज-1), आगरा को अनुपालनार्थ।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर मैसर्स गेष्वा इंजी० एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० (पैकेज-2), आगरा को अनुपालनार्थ।

अतिशारी अधिकारी/ सदस्य सचिव